झारखण्ड सरकार

कार्यालय
उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी, दुमका (झारखण्ड)
(जिला आपूर्ति शाखा)
निविदा सूचना

सरकार के सचिव, खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड राँची के अधिसूचना ज्ञापांक–खा0प्र0–01/डाकिया स्कीम/7–7/2016–1469/रांची दिनांक 02.04.2017 के द्वारा जिला में माह–अक्टूबर'15 से खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू किया गया है। यह अधिनियम लाभुकों को भोजन का अधिकार प्रदान करती है। वस्तुत इस अधिनियम का सर्वोपरि उद्देश्य मानक जीवन चक्र में खाद्य एवं पोषण की आवश्यकता की पूर्ति करते हुये एक गरिमा में जीवन की व्यवस्था करना है। इसी उद्देश्य की आपूर्ति हेतु राज्य सरकार द्वारा कई महत्वपूर्ण कदम उठाये जा रहे है इसी क्रम में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत सभी पात्र आदिम जनजाति के सदस्यों को प्राथमिकता के तौर पर आच्छादित किये जाने की कार्रवाई की गयी है। दुमका जिला के अधिकांश क्षेत्र पहाडी एवं दुर्गम है इन पहाड़ी एवं दुर्गम क्षेत्रों में मुख्यतः आदिम जनजाति निवास करते है, जिसके कारण खाद्यान्न प्राप्त करने हेतु प्रति माह लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। इन्हीं कठिनाईयों को ध्यान में देखते हुये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत आच्छादित सभी पात्र आदिम जनजातियों के निवास स्थान तक 35 किलोग्राम चावल को पैकेट के रूप में उपलब्ध कराने की दृष्टिकोण से जिला में विशिष्ट जनजाति खाद्यान्न सुरक्षा योजना (पी0वी0टी0जी0 डाकिया योजना) का शुभारंभ किया गया।

खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत दुमका ज़िला अन्तर्गत विभिन्न प्रखण्डों में निवास करने वाले सभी आदिम जनजाति के निवास स्थान तक खाद्यान्न उपलब्ध कराने हेतु परिवहन–सह–हथालन अभिकर्ता का चयन वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए चयन किया जाना है। उक्त योजना के तहत खाद्यान्न का परिवहन निम्न तरह से किया जाना है :–

क्र0	कलस्टर प्रखण्ड का नाम	कलस्टर प्रखण्ड से जिस प्रखण्ड में खाद्यान्न आपूर्ति की जायेगी उस प्रखण्ड का नाम
1.	जरमुण्डी	जरमुण्डी
		सरैयाहाट
		रामगढ
2.	मसलिया	मसलिया
		दुमका
		जामा
3.	काठीकुण्ड	काठीकुण्ड
		गोपीकान्दर
		शिकारीपाड़ा
		रानेश्वर

सरकार के सचिव, खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड राँची के अधिसूचना ज्ञापांक–खा०प्र०–01/डाकिया स्कीम/7–7/2016–1469/रांची दिनांक 02.04.2017 के द्वारा प्राप्त निदेश के आलोक में जरमुण्डी, मसलिया एवं काठीकुण्ड प्रखण्ड के झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के गोदाम से पैकेजिंग किये गये खाद्यान्न को कलस्टर प्रखण्ड के साथ–साथ जिस प्रखण्ड में खाद्यान्न आपूर्ति की जायेगी उस प्रखण्ड के मुख्यतः आदिम जनजाति निवास स्थान तक खाद्यान्नों को डोर स्टेप डिलेवरी के तहत **115.00 (एक सौ पन्द्रह)** रूपये प्रति क्विंटल अधिकतम दर निर्धारित किया गया है। अधिकतम 115.00 (एक सौ पन्द्रह) रूपये प्रति क्विंटल की दर से परिवहन–सह–हथालन अभिकर्ताओं का चयन हेतु **दिनांक 19.06.2017 को 12:30 बजे** तक मुहरबंद लिफाफे में इच्छुक निविदादाताओं से निम्नांकित शर्तों के साथ निविदा आमंत्रित की जाती है।

इच्छुक निविदादाता द्वारा निविदा दिनांक **19.06.2017 को 12:30 बजे अपराह्न** तक जिला आपूर्ति कार्यालय, दुमका में मुहरबंद लिफाफे में जमा की जा सकती है, निर्धारित तिथि एवं समय के बाद निविदा स्वीकार्य नहीं होगा।

तकनीकि निविदा की शर्तें:–

1. दुमका जिला के निविदादाता से निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा में दुमका जिला के स्थायी निवासी को प्राथमिकता दी जायेगी।
2. प्राप्त निविदाओं को **दिनांक 19.06.2017 के 02:00 बजे अपराह्न में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष** में खोला जायेगा। निविदा खोलते समय निविदादाता या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति अनिवार्य है। निविदादाता को तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा के रूप में दो लिफाफा में अलग–अलग एक लिफाफा में भरकर एक साथ जमा करना होगा। तकनीकी निविदा की सभी शर्तों को पूरा करने पर ही वित्तीय निविदा का लिफाफा खोला जायेगा।
3. इच्छुक निविदादाता निविदा हेतु आवेदन पत्र **दिनांक 17.06.2017 तक कार्यालय अवधि में जिला आपूर्ति कार्यालय, दुमका** से प्राप्त करेंगे।
4. निविदादाता अपना नाम, पिता/पति का नाम, वर्तमान पता, स्थायी पता, अपना व्यवसाय पूर्व अनुभव आदि का उल्लेख अपने आवेदन पत्र में करेंगे। निविदादाता को आवेदन के साथ साथ अग्रधन राशि देनी होगी।
5. निविदादाता को स्वच्छ छवि का प्रमाण पत्र निविदा के साथ जमा करना होगा। वैसे निविदादाता को जिन्हें किसी सरकारी विभाग या प्रतिष्ठान द्वारा काली सूची में दर्ज किया गया हो या जिसे किसी सक्षम न्यायालय के द्वारा किसी अपराधिक मामले में दोषी करार दिया गया हो उन्हें परिवहन अभिकर्ता के रूप में चयन नहीं किया जायेगा।
6. निविदा के लिए प्रमाण पत्र (जिला/अनुमंडल स्तर का)/चरित्र प्रमाण पत्र (जिला स्तर का) निविदा के साथ समर्पित करना अनिवार्य होगा।
7. निविदादाता को कम से कम 200000.00 (दो लाख) रूपये का चल/अचल सम्पति का ब्योरा संबंधी प्रमाण पत्र निविदा के साथ समर्पित करना अनिवार्य होगा।

8. निविदादाता जनवितरण प्रंणाली बिक्रेता/किरासन तेल थोक बिक्रेता/किरासन तेल ठेला भेण्डर आदि का अनुज्ञप्तिधारी नहीं होंगे।

9. निविदादाता को कम से कम तीन वाहन यथा एक पिकअप भेन/एक मीनी ट्रक 407/एक टेक्टर, ट्रैलर के साथ का स्वामित्व होना चाहिए। जो निविदा के साथ वाहन से संबंधित पंजीकृत संख्या, प्रकार एवं कागजात (अद्यतन एन्सोरेंस एवं अद्यतन टैक्स पैड) की छायाप्रति साथ में समर्पित करना अनिवार्य होगा।

10. दुमका जिला के अन्तर्गत मुख्यालय एवं विभिन्न प्रखण्डों के लिये चयनित अभिकर्ताओं के द्वारा इस निविदा को यदि डाला जाता है तो वे डोर स्टेप डिलीवरी के तहत चयनित वाहनों को इस निविदा में प्रयोग नहीं कर सकते है, जांच के क्रम में यदि बाद में डोर स्टेप डिलीवरी के तहत चयनित वाहनों को इस योजना के तहत उपयोग में लाया जाता है तो उनके निविदा को स्वतः रद्द कर दी जायेगी।

11. निविदादाता को अपनी निविदा के राशि 50,000.00 (पचास हजार) रूपये डिमाण्ड ड्राफ्ट अग्रधन के रूप में उपायुक्त, दुमका के पदनाम से जो दुमका में भुगतेय होगी उसे संलग्न करना आवश्यक है। निविदा समाप्ति के पश्चात् स्वीकृत निविदादाता को छोड़कर अन्य सभी निविदादाता को अग्रधन राशि वापस कर दिया जायेगा।

12. निविदादाता को बिक्रीकर का क्लियरेंस संबंधी प्रमाण पत्र एवं आयकर तथा पेशाकर का अद्यतन प्रमाण पत्र अभिप्रमाणित कर समर्पित करना अनिवार्य होगा।

13. निविदादाता से परिवहन के दौरान खाद्यान्न की क्षति की वसूली क्षति के मात्रा के अनुरूप बाजार दर पर बीस प्रतिशत जुर्माना सहित उनके विपत्र या संबंधित परिवहन अभिकर्ता से एकमुश्त वूसली किया जायेगा।

14. उक्त निविदा के लिए आवेदन व्यक्ति विशेष, Proprietorship Firm एवं Partnership Firm डाल सकते है। Proprietorship Firm एवं Partnership Firm के तहत प्राप्त आवेदन की स्थिति में Partnership Deed/ Proprietorship Deed का शपथ पत्र निविदा के साथ समर्पित करना अनिवार्य होगा। वैसी स्थिति में परिवहन अभिकर्ताओं की नियुक्ति Firm के नाम से निर्गत किया जायेगा।

15. निविदादाता को प्रत्येक माह जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित समय सीमा के अन्दर खाद्यान्न की शत प्रतिशत मात्रा परिवहन करना होगा और परिवहन व्यय का भुगतान राज्य सरकार से इस मद में आवंटन प्राप्त होने पर ही किया जायेगा।

16. चयनित निविदादाता को नियुक्ति पत्र निर्गत होने की एक सप्ताह के अन्दर एकरारनामा जिला आपूर्ति पदाधिकारी के साथ करना होगा अन्यथा चयनित पत्र रद्द समझा जायेगा एवं अग्रधन की राशि जब्त कर ली जायेगी।

17. समिति द्वारा एक या एक से अधिक परिवहन–सह–हथालन अभिकर्ता का चयन करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा एवं निविदा के शर्तों में परिवर्तन एवं इसे बिना कारण बताये रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

18. चयनित परिवहन–सह–हथालन अभिकर्ता का कार्यकाल 31 मार्च 2018 तक मान्य होगा तथा उक्त अवधि में निर्धारित दर की अतिरिक्त कोई अन्य राशि देय नहीं होगी। विभाग द्वारा आवश्यकतानुसार स्वीकृत दर पर चयनित परिवहन–सह–हथालन अभिकर्ता से अतिरिक्त दो माह का कार्य लिया जा सकेगा, जो कि अभिकर्ता को मान्य होगा।

19. निविदा की शर्तों में परिवर्तन एवं बिना कारण बताये रद्द करने की अधिकार अधोहस्ताक्षरी को होगा।

20. निविदादाता निविदा में दिये जानेवाले दर का आधार बतायेंगे अर्थात परिवहन के दौरान विभिन्न प्रकार के होनेवाले खर्च का एक संक्षिप्त ब्योरा देंगे। जिससे यह स्पष्ट हो सके कि उनके द्वारा निविदा दर वास्तविक है या नहीं। इस ब्योरा के बिना निविदा को अस्वीकृत किया जा सकता है।

21. निविदादाता को खाद्यान्न की लॉडिंग एवं अनलॉडिंग स्वयं करना होगा एवं इसके लिए अलग से कोई भुगतान नहीं किया जायेगा।

22. स्वीकृत निविदादाता द्वारा परिवहन किये गये खाद्यान्न के विरूद्ध यदि किसी से किसी प्रकार की राशि की वसूली की जाती है अथवा ऐसी शिकायत प्राप्त होती है तो परिवहन अभिकर्ता के विपत्र से राशि कटौति करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को होगी।

23. तकनीकी निविदा के साथ सभी प्रकार के वांछित कागजात एवं अग्रधन का बैंक ड्राफ्ट समर्पित करना होगा एवं वित्तीय निविदा के साथ परिवहन दर समर्पित करना होगा।

24. स्वीकृत निविदादाता परिवहन कार्य को अन्य को हस्तांरित नहीं कर सकते है।

ह0/-
उपायुक्त
दुमका।

ज्ञापांक 7/17 जि0आ0, दुमका दिनांक 9.6.17

प्रतिलिपिः– जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, दुमका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि आप अपने स्तर से तीन मुख्य स्थानीय समाचर पत्रों में उक्त निविदा के विज्ञापन को प्रकाशन कराना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, दुमका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि उक्त निविदा को www.dumka.nic.in पर अपलोड कराना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपिः– जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम दुमका/सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/सभी प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, दुमका जिला/कार्यपालक पदाधिकारी, दुमका नगर पर्षद, दुमका/कार्यपालक पदाधिकारी, बासुकीनाथ अधिसूचित क्षेत्र, बासुकीनाथ को सूचनार्थ एवं संबंधित निविदा की प्रति कार्यालय सूचना पट्ट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

9/6/17
उपायुक्त
दुमका।